भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AC 075280

यह जनरल स्टाम्प पेपर फलपति साहू सी मोडल एजुकेशनल सोसाइटी
जिला लखनऊ फाईल नं० 120159
के संशो० नियमावली के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
[illegible]

क्रम सं. 13345
स्टाम्प [illegible] की तिथि [illegible]
स्टाम्प [illegible] का प्रयोजन
स्टाम्प [illegible] व पूरा [illegible] छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 10/-

सै० हसन अब्बास [illegible] 25
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2020 हाई कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये
रु.10

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AD 383728

यह जनरल स्टाम्प पत्र छत्रपति शाहूजी महाराज
चिकित्सा विश्वविद्यालय
जिला लखनऊ फाइल नं० 120959
सूची संख्या 1778 के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

6/11/17

10214

8/11/17

छत्रपति साहूजी महाराज स्मृतिस्थानाची सोडती

लेखनीज

निरीक्षक

20

2018

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: छत्रपति शाहूजी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी।

(2) संस्था का पता :: ई–1,लारेन्स टेरेस कालोनी,हजरतगंज जिला–लखनऊ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: समस्त भारत वर्ष ।

(4) संस्था के उद्देश्य

1–बालक / बालिकाओं का सामाजिक,मानसिक,नैतिक,चारित्रिक शैक्षिक एवं बौद्विक विकास करना।

2–ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना। का आयोजन करना।

3–समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचार गोष्ठी,सेमिनार,सम्मेलन,खेलकूल प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन व संचालन करना।

4–छात्र छात्राओं को साहित्यक,वैज्ञानिक,कलात्मक,सांस्कृतिक,कृषि एवं रचनात्मक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।

5–शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना।

6–महिलाओं / छात्राओं को सिलाई,कढ़ाई,बुनाई एवं शिल्प कला एवं गृह शिल्प की शिक्षा दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

7–प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा,शारीरिक शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

8–छात्र छात्राओं में आपसी सद्भाव राष्ट्र प्रेम,देश सेवा समाजसेवा मानव सेवा एवं ग्राम सेवा की भावना जागृत करना।

9–समाज कल्याण विभाग उ0प्र0,केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,कपार्ट अवार्ड नावार्ड,सिडवी मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ,डवाकरा सिपफसा सेफ इण्डिया,नौराड द्वारा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

10–पर्यावरण संरक्षण,नशा उन्मूलन,परिवार कल्याण,स्वास्थ्य कल्याण वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन करना।

11–अनाथालय,नारी संरक्षण गृह,वृद्वा आश्रम,नशा उन्मूलन कार्यक्रम,शिशु पालन गृह,छात्रावास

12–मूक बधिरों,विकलांगों नेत्रहीनों विधिवाओं बेरोजगारों के लिये निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।

13–बौद्व धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण प्रचार तथा प्रसार करना।

14–बौद्व धर्म के छात्र / छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिये विद्यालय,महाविद्यालय,तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

15–बौद्व धर्म के गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

हस्ताक्षर

1–

2– Manu Ori

3–

4– Tooja Singh

5.

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ☆ लखनऊ मण्डल, लखनऊ (उ0प्र0)

सत्यमेव जयते

I-120959

फाइल का क्रम संशो० स्मृति-पत्र

आलेख का क्रम

आज दिनांक 19-02-2011

को फाइल की गयी

निबन्धक समितियाँ

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

छत्रपति शाहू जी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी
ई–1,लारेन्स टेरेस कालोनी, हजरतगंज जिला–लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष ::2017–2018

क्र0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री टी0आर0वर्मा पुत्र स्व0 देवी दयाल	554/203,क,छोटा बरहा,आलमबाग जिला–लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 लाल सिंह	701,चेलेसिया टावर,ओमेक्स हाइट गोमतीनगर जिला लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद	554/647 बी,छोटा बरहा,डा0 सक्सेना की कोठी के पीछे,आलमबाग लखनऊ	प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्री अमित सिंह पटेल पुत्र श्री अवधेश सिंह	554/647 बी,छोटा बरहा,डा0 सक्सेना की कोठी के पीछे,आलमबाग लखनऊ	उपप्रबन्धक	समाजसेवा
5	मुन्नी देवी पुत्री श्री गंगा प्रसाद	ग्राम व पोस्ट–अटवा बैक जिला उन्नाव	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6	पूजा सिंह पुत्री श्री राम किशोर वर्मा	537 यू/0013 ए,भरतनगर लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री महाबीर प्रसाद पुत्र श्री मंगल	554/6471 छोटा बरहा आलमबाग जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

(सत्य प्रतिलिपि)

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०)

हस्ताक्षर

1–

2– Manoj ...

3–

4– Pooja Singh

सत्य प्रतिलिपि

... सहायक

निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते

I-120959

फाइल का क्रम
आलेख का क्रम प्रबन्ध समिति
आज दिनांक वर्ष 2017-2018
को फाइल की गयी 07-11-2017

निबन्धक समितियाँ
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी।
(2) संस्था का पता : ई–1,लारेन्स टेरेस कालोनी, हजरतगंज जिला–लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष।

(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 5000/नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 100/वार्षिक सदस्यता प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

(5) सदस्यता की समाप्तिः:

1– मृत्यु हो जाने पर।
2.– पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4– अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5– नियमिति रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6– नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7– बिना सूचना दिये हुए लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(6) संस्था के अंग ::

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा ::

गठन ::

संस्था के आजीवन सदस्यों एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

3–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

4–संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन,परिवर्तन व परिवर्धन पारित करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन :: साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा,जिसमें–अध्यक्ष–एक उपाध्यक्ष–एक,प्रबन्धक–एक,उपप्रबन्धक–एक,कोषाध्यक्ष एक सदस्य–दो होगें,इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी जो आवश्यतानुसार संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामांन्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घन्टे पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।

2–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3–संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

4–उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार,केंद्र सरकार,स्थानीय निकायों,दानशील व्यक्तियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों,सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों,शिक्षा विभाग,शिक्षा मन्त्रालय समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,कपार्ट नाबार्ड,सिडवी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ, डवाकरा,सिफसा,सेफ इण्डिया नौराड एवं अन्य श्रोतो से दान,अनुदान एवं बित्तीय सहायता प्राप्त करना।

5–संस्था की शाखाओं/उपसमितियों का गठन करना और उन पर नियन्त्रण रखना।

6–संस्था के लिये अचल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना,कय करना और उन पर नियंत्रण रखना।

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 6 साल का होगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2–बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना,उनमें परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।

3.–समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

4—बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
5—संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना ओर उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक

1—संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2—प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3—पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4—सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
5—बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
6—बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
7—सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
8—संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
9—संस्था की समस्त चल—अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
10—वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति व वेतनबृद्वि करना।
11—संस्था के अंकेक्षण की व्यवस्था करना।
12—शिक्षकों की नियुक्ति,निष्कासन,वेतनबृद्वि,पदोन्नति, करना व अवकाश की स्वीकृत देना।
13—समस्त बिल व वाउचरों,अनुबन्ध पत्रों,संविदो,आहरण पत्रों नियुक्ति पत्रों लेखों विलेखों आदि पर हस्ताक्षर करना।

उपप्रबन्धक

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष

1—आय—व्यय का लेखा—जोखा रखना।
2—दान व चन्दा प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
3—प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों पर सम्मिलित हस्ताक्षर कर भुगतान करना।
4—राजकीय सहायता एवं अनुदान व ऋण प्राप्त करना।

(10) **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::**

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन,परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) **संस्था का कोष ::**

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा,जो प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के सम्मिलित हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

(12) **संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::**

संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

(13) संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकारी,अर्द्धसरकारी एजेन्सियों,राष्ट्रीय बैंकों वित्तीय संस्थाओं,निगमों तथा अन्यव्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना व सम्पत्तियों का लीज पर अधिग्रहण करना। जिसके लिये समिति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों संस्थाओं आदि की सम्पत्तियों को गारन्टी व गिरवी प्रदान कर सकती है तथा समिति के आवश्यक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये श्री अवधेश सिंह एवं श्रीमती मुन्नी देवी को अधिकृत किया जाता है तथा इस तरह के ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। संस्था द्वारा प्राप्त उक्त धनराशि से कय की गई समस्त सम्पत्तियों का बीमा उचित समय के अन्दर ऋण प्रदान करने वाली सरकारी अर्द्धसरकारी एजेन्सियों राष्ट्रीयकृत बैंको,निगमों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में करा दिया जायेगा।जब तक बीमा नहीं कराया जाता तब तक समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।

(14) **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::**

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा या प्रबन्धक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

(15) **संस्था के अभिलेख ::**

1–सदस्यता रजिस्टर
2–कार्यवाही रजिस्टर
3–स्टाक रजिस्टर
4–कैश बुक आदि।

(16) **संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

(17) **अन्य विवरण**

क–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख–विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा

ग–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें,और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ङ–संस्था के शिक्षा तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

निबन्धक … सोसाइटीज एवं चिट्स

सत्यमेव जयते

लखनऊ

फाइल का क्रम P-120959

आलेख का नाम संस्थापनिवि (नियमावली)

फाइल दिनांक

को फाइल की गई 05-10-2015

उप निबन्धक समितियाँ

कार्यालय, लखनऊ

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ EDUCATIONAL SOCIETY

Authorised Signatories

च–कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुनन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

छ–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें,संस्था उनका पालन करेगी।

ज–विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

झ–उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्धन संशोधन नहीं किया जायेगा।

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1–

2–

3–

4– महावीर प्रसाद

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

06/8/

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक......161743

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 11367 दिनांक 08/11/2017

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
2799	1–120959	1997-1998

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... छत्रपति शाहू जी ......महाराज एजूकेशनल सोसाइटी , ई–1, [illegible] कालोनी, [illegible], लखनऊ को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ....1833.......... दिनांक ....17-10-1[illegible] को दिनांक ....17-10-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

...........1100.............. रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक..................07-11-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सोल फार्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क०/टी०/आफसेट)।